

बुनियादी शिक्षा और गांधी चिन्तन

सारांश

वर्तमान युग में शिक्षा की गुणवत्ता में कमी तथा रोजगार का अभाव होने के कारण शिक्षा पद्धति में बदलाव की मांग उठ रही है। उत्तम शिक्षण की कसौटी यह है कि युवकों में अपना भावी जीवन विवेकपूर्ण चुनने की क्षमता उत्पन्न हो। देश में पिछले सौ सालों में हर एक चिंतक और विचारकों ने शिक्षा के प्रति असन्तोष प्रकट किया है। फिर भी शिक्षा का वहीं पुराना स्वरूप ज्यों का त्यों चला आ रहा है। वर्तमान सरकार भी शिक्षा की दिशा और दशा को लेकर चिन्तित है और एक नई शिक्षा नीति लाने के लिए प्रयासरत हैं।

मुख्य शब्द : शिक्षा पद्धति, गांधीवाद, शिक्षानीति, समाज एवं विकास।

प्रस्तावना

लगभग दो दशकों से अधिक समय पहले 1992 में संशोधित 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशक बनी हुई है। इसके पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी जो आजादी के बाद शिक्षा के मामले में पहली राष्ट्रीय पहल थी। हालांकि अंग्रेजी शासन के दौरान भी “वर्धा शिक्षा योजना” महात्मा गांधी की नई तालीम ने 1938 में एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार किया और प्रांतीय सरकारों को उस पर अमल करने की सिफारिश की गई। कैब (सो.बी.आइ.) कमेटी के बाद भारत में शिक्षा के विकास की योजना को सबके लिए सुलभ बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर जोर दिया था। वैसे तो 1986 और 1992 की शिक्षा नीति विचार और अवधारणा के मामले में काफी व्यापक थी, लेकिन उससे शिक्षा क्षेत्र में कोई सन्तोषजनक नतीजे नहीं निकले हैं। तमाम तरह के लक्ष्यों और कार्यक्रमों के बावजूद देश में शिक्षा का मामला सबसे लचर रहा है। ज्यादातर उद्देश्यों और लक्ष्यों को आंशिक रूप से भी हासिल नहीं किए जा सके हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि न कोई व्यवहारिक रूपरेखा है और न संचालन संबंधी विशिष्ट नियम-कायदे हैं और तो और गांव से लेकर ब्लाक तक हर स्तर पर भारी राजनीतिकरण के साथ भ्रष्टाचार का दायरा इस हद तक बढ़ गया कि शिक्षा का कोई पहलू इससे अछूता नहीं रह पाया है। पिछले करीब तीन दशकों की यही कहानी है। आचार्य विनाबाजी मानते थे कि 15 अगस्त 1947 को जैसे झंडा बदला था, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था भी तुरंत बदलनी चाहिए थी। वर्ष 2017 अपने साथ देश में शिक्षा का स्तर सुधारने वाली पहल लेकर आया है।

इस साल कई मायनों में बुनियादी शिक्षा को दुरुस्त करने को लेकर अहम बदलाव करने की कोशिश की गई। सरकार नई शिक्षा नीति के द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कर्ष पहल कर सकती है। यह कितनी कारगर होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश सौ साल पूर्व की गांधीजी की शिक्षा नीति को वापस लाने की सोच रहा है।

बुनियादी शिक्षा क्या है

गांधीजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण संभावित विकास का साधन, माध्यम तथा प्रक्रिया है, जो बच्चों के दैहिक, मानसिक, आर्थिक तथा नैतिकता का समन्वित विकास करती है। इसे गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया। बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सम्यता, संस्कृति के नजदीक थी। साथ ही साथ सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से जुड़ी हुई थी। जिसके माध्यम से बच्चा सीखे हुए आधारभूत शिल्प के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर सकता था। आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व गांधीजी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बेसिक शिक्षा की नई योजना प्रस्तुत की थी, जो कि अहिंसक, समतामूलक, न्ययाधिकृत समाज के निर्माण का उद्देश्य रखती थी। जिसे 1938 के हरिपुरा के अधिवेशन में स्वीकृति मिल गई, और भविष्य में यह ‘वर्धा शिक्षा योजना’ के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह शिक्षा योजना हमारे जीवन के बुनियाद या

आधार से जुड़ी हुई थी इसलिए इसका नाम बुनियादी या आधारभूत शिक्षा पद्धति रखा गया। शिक्षा केवल साक्षरता प्रदान करने तथा बहुत से विषयों का ज्ञान हासिल करने से ही पूरी नहीं हो पाती है, ऐसी शिक्षा का जीवन के साथ कोई संबंध नहीं रहता, शिक्षा तभी सफल होती है, जब ज्ञान व्यक्ति के विचारों तथा उसकी कर्मठता को, उसके संपूर्ण आचरणों को, इस प्रकार प्रभावित, परिमार्जित तथा संगठित करता रहे, जिससे कि मानव कल्याण की सच्ची उपलब्धि हासिल हो सके। गांधीजी की शिक्षा बच्चे के स्वभावों की विकृतियों को दूर करना था, उसे मानवीय आचरणों के प्रति नयी जीवन-प्रणाली प्रदान करना था। इस तरह गांधीजी ने शिक्षा को केवल अर्थिक उपलब्धि तक ही सीमित मान लेना एक महान नैतिक भूल समझा, यद्यपि, हस्तशिल्पों की शिक्षा से गांधीजी ने निश्चित अर्थिक लाभ की भी कामना की थी। उन्होंने अर्थिक-शिक्षण को जीवन शिक्षण का एक अनिवार्य अंग माना था। शिक्षा की उपयोगिता के प्रति उनके दो दृष्टिकोण थे—

1. अर्थिक दृष्टिकोण
2. चारित्रिक दृष्टिकोण

गांधीजी ने अर्थिक रूप से विद्यार्थियों का, विद्यालय का, समाज का तथा पूरे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करने की बात सोची थी। भारत जैसे अभावग्रस्त देश में शिक्षा की यह परिकल्पना, निश्चित रूप से एक महानतम राष्ट्रीय परिकल्पना है। चरित्र की दृष्टि से, महात्मा गांधीजी ने बच्चों एवं अभिभावकों को आस्थावान, कर्मठ, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर, सहयोगशील, सत्यनिष्ठ, अहिंसक तथा आचरणशील बनाने की सोची थी।

गांधीजी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, शिल्प जैसे— करघे पर सूत कातना, बुनाई करना, लकड़ी-चमड़े-मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछलीपालना, बागवानी, शारीरिक शिक्षा, बालिकाओं के लिए गृहविज्ञान आदि विषय पर आधारित किया। उनके अनुसार शिक्षा जब तक व्यवहारिक नहीं होगी, तब तक शिक्षा अधूरी रहेगी। गांधीजी की यह आदर्शवादी शिक्षा, जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा देती है। उनका सोचना था कि बालक की रूचि के अनुसार प्रयोजनवादी शिक्षा पद्धति हो, जो कि उनके भविष्य से सीधी जुड़ी हो। अगर शिक्षा ऐसी नहीं दी जाती है तो वह शिक्षा सिर्फ साक्षरता को दर्शती है। उन्होंने मानना था कि बुनियादी शिक्षा निःशुल्क हो, जिससे देश का बच्चा—बच्चा इससे लाभान्वित हो सके। खर्चीली एवं मंहगी शिक्षा समाज के कुछ स्तर के बच्चों तक ही पहुंच पाती है, इसलिए कम से कम बुनियादी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। उद्देश्यों के आधार पर गांधीजी ने शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया है—

1. शिक्षा का तात्कालिक उद्देश्य
2. शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य (दूरगामी)

गांधीजी की तात्कालिक शिक्षा का मतलब था कि शिक्षा ऐसी हो जिसके द्वारा जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

गांधीजी के अनुसार शिक्षा उद्देश्य

जीविकोपार्जन का उद्देश्य

गांधीजी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिससे आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, बालकों को आत्मनिर्भर बना सके तथा भविष्य में बेरोजगारी से मुक्ति दिला सके।

सांस्कृतिक उद्देश्य

गांधीजी ने संस्कृति को शिक्षा का आधार माना तथा मानव के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए।

पूर्ण विकास का उद्देश्य

उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके।

नैतिक अथवा चारित्रिक विकास

गांधीजी ने चारित्रिक एवं नैतिक विकास को शिक्षा को आवश्यक आधार माना है।

मुक्ति का उद्देश्य

गांधीजी का आदर्श “सा विधा या विमुक्तये” अर्थात् शिक्षा ही हमें समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाती है। अतः गांधीजी शिक्षा के माध्यम से आत्मविकास के लिये आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने पर जोर देते थे।

सर्वोच्च उद्देश्य (दूरगामी)

शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत वे जीवन के आखिरी लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करते हैं तथा सत्य एवं ईश्वर की प्राप्ति पर बल देते थे। अतः मनुष्य का अंतिम एवं सर्वोच्च उद्देश्य आत्मानुभूति करना ही है।

गांधीजी का विचार था कि शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। उनके अनुसार मनुष्य न तो बुद्धि है, न तो पूरी तरह शरीर से पशु, न तो वह हृदय है और न केवल आत्मा। वे मानते थे कि शरीर, बुद्धि और हृदय तीनों का उचित और संतुलित योगदान के उपरान्त ही संपूर्ण और वास्तविक शिक्षा के अर्थास्त्र का निर्माण होता है। गांधीजी चाहते थे कि वे कि शिक्षा में नैतिक आग्रहों का समावेश अवश्य होना चाहिए। इसके तहत उसे सभी बच्चों के चरित्र के निर्माण का साधन बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने खासतौर पर बच्चों में शान्ति और नेतृत्व के लिए शिक्षा देने की बात कही। उन्होंने यह भी महसूस किया कि शिक्षा हमें स्वतंत्रता का अहसास कराती है। गांधीजी मानते थे कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाने वाली होनी चाहिए। जिससे वह व्यक्ति को बेरोजगारी का सामना करने में सक्षम बना सके और भावी जीवन में वह बच्चों को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बन सके। उनके मुताबिक 14 साल की उम्र में बच्चे को कमाने वाली इकाई के रूप में सात सालों का कोर्स पूरा होने के बाद मुक्त कर देना चाहिए।

गांधीजी के अनुसार बुनियादी शिक्षा की विशेषताएँ

1. बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की हो।
2. 7 से 14 वर्ष के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए।

3. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो तथा हिंदी भाषा का अध्ययन बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य है।
4. संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से पूर्ण हो।
5. चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलम्बी बनाया जाए।
6. शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को समझ सके।
7. बुनियादी शिक्षा पद्धति में शारिरिक श्रम को महत्व दिया गया है ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा बालक जीविकोपार्जन कर सके।
8. यह शिक्षा बालकों के दैनिक जीवन, घर, ग्राम तथा कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित हों।
9. बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं ऐसी हो जिनका प्रयोग कर सके एवं उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर कुछ व्यय कर सके।
10. बालकों एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए।
11. छठवीं और सातवीं कक्षाओं में बालिकाओं को आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृहविज्ञान की शिक्षा दी जावे।
12. पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष हो।
13. पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाये।

पढाई के दौरान ही गांधीजी ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों व इसकी निरर्थकता को गंभीरता से महसूस किया था और उनका यह निश्चित मत हो गया था कि शिक्षा यदि नैतिकता नहीं सिखाती है तो वह शिक्षा ही नहीं है, इसलिए शिक्षा में व्यवहार के ज्ञान का तत्व अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके साथ ही विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात् शारीरिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया। लंदन में कानून का अध्ययन करते हुए गांधीजी ने यह अनुभव किया कि वास्तविक शिक्षण तो स्व-शिक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में कुछ भी नहीं है जो शिक्षा से संबंधित न हो। इसलिए गांधीजी ने आहार विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा व स्वास्थ्य से संबंधित विषयों का गंभीरता से अध्ययन किया है। 'फीनिक्स' आश्रम में उन्होंने तीन घण्टे पढाई, दो घण्टे खेती का काम, दो घण्टे इण्डियन ओपीनियन समाचार पत्र में काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। 'टॉलस्टॉय' आश्रम की पाठशाला में गांधीजी ने शिक्षा में उद्योग को शामिल किया। यहां स्वावलंबन के नियम का कड़ाई से पालन होता था। पाखाना सफाई से लेकर खाना बनाने तक के सारे काम विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर करते थे।

बुनियादी शिक्षा का महत्व

गांधीजी हमेशा ही स्वावलंबन पर जोर देते रहे। स्वावलंबन का यह रास्ता विभिन्न तरह के कौशलों से होकर गुजरता है। गांधीजी न केवल अपने अनुयायियों को इन कौशल में निपुण करने की कोशिश करते रहे और प्रेरणा देते रहे बल्कि सरकारी स्तर पर भी शिक्षा के मूल तत्वों में इनके समावेश के लिए बार बार आवाज उठाते

रहे। साथ ही वह साहित्यिक ज्ञान के साथ-साथ औद्योगिक शिक्षा की लगातार वकालत करते रहे। वर्तमान कौशल विकास योजना गांधीजी के औद्योगिक शिक्षा को आत्मसात् करने की धारणा साकार करती मालूम पड़ती है। अगर वर्तमान में गांधीजी की शिक्षा दृष्टि कौशल विकास के द्योगे के साथ समन्वय बिठा सके तो शायद समतामूलक समाज का मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो सकेगा। गांधीजी की शिक्षा की अवधारणा है कि बच्चों और इंसानों के शरीर मन और आत्मा के सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा गांधी मानते थे कि सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती हो और प्रेरित करती हो।

गांधीजी ने शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष पर काफी जोर दिया, जिसे लागू करने का प्रयास आज के पाठ्यक्रम निर्माता भी कर रहे हैं। बचपन के बारे में उनके सरोकार का केन्द्र बच्चों का मूल स्वभाव था कि वह कैसे सीखते हैं और उसकी बुनियादी आवश्यतकताएं क्या हैं। यह सभी मिलकर आज की समसामयिक बाल केंद्रित शिक्षा का निर्माण करते हैं। गांधी द्वारा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में शिल्प और श्रम को महत्व देने वाले नजरिया के निर्माण को प्रशिक्षकों द्वारा आज भी महत्व दिया जाता है। वास्तव में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा में सामाजिक रूप से उपयोगी और उत्पादक कार्य जो स्कूल पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, वह आज की शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की वैशिक्तता में खासतौर पर बच्चों का सम्मान करने के संदर्भ में उनका विश्वास था। आज भी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का चहुमुखी विकास करना है। गांधी जी बच्चे की नैसर्गिक अच्छाई में यकीन रखते थे। चीजों का प्रयोग करके सीखने पर जोर देते थे। साथ ही बनावटीपन और आड़बर के विरोधी थे। उन्होंने शिक्षा को चारदिवारी से मुक्त करने का प्रयास किया और वे चाहते थे कि बच्चे के प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए। वह मानते थे कि बच्चों को शिक्षा स्वतंत्रता के माहौल में दी जानी चाहिए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आज की आधुनिक बाल केंद्रित और मानवतावादी शिक्षण के सरोकार भी यही है।

गांधीजी मानते थे कि भारत में सुव्यवस्थित शिक्षा हजारों साल पहले, उत्तर वैदिक काल से ही चली आ रही है, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति था। विद्या सुख का पर्याय थी। महात्मा बुद्ध ने समस्त दुखों और पुनर्जन्म का कारण, अविद्या को बताया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद तथा नक्षत्रविद्या, सर्प, देवजन आदि कई वेदों के ज्ञाता होकर भी नारद अशांत रहा करते थे। शांति उन्हे तब मिली, जब उपनिषद में सनत कुमार द्वारा उनकी हृदयगंधी खुली। अर्थात् कोई भी आदमी ज्ञानगंथ पढ़कर, शान्ति को पा जायेगा—यह धारणा गलत है, शांति और सुख तब मिलेगे, जब उसकी ग्रंथी खुलेगी। इसलिए डिग्गी/सर्टिफिकेट से अधिक हमें व्यक्ति विशेष की योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। यही शिक्षा का सच्चा महत्व होगा। इतिहास में गांधीजी से बड़े शिक्षक और शिक्षाशास्त्री का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। गांधीजी ने शास्त्रीय ढंग से शिक्षा की कोई नई योजना नहीं दी फिर भी भारतीय शिक्षा

विचारधारा के प्रथम आधुनिक उन्नायक कहे जाने का अधिकार इन्हे ही है।

गांधीजी की नई तालीम में बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर बल देती है और उनके विचार में बच्चों को उनके घर से दूर करना असली शिक्षा से दूर करना है क्योंकि घर से बड़ा विद्यालय कोई और नहीं है। नैतिकता पर बल देते हुए शिक्षा द्वारा सहयोग की भावना और धार्मिक और जातिगत भेदभावों तथा द्वेष से दूर रहने की भावना को विकसित करना एक अहम बिंदु है। उनके अनुसार शिक्षा कर के देखे हुए अनुभवों के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। जिससे बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का अहसास दिलाया जाए और उसे हर काम को बराबर सम्मान देना सिखाया जाए या कहे कि ऐसा माहौल दिया जाए कि वो ये सारी बातें अमल में लाते हुए शिक्षित हो। शिक्षा में रोजगार पैदा करने का हुनर सिखाया जाए और बच्चों को क्रापट और अन्य तरह के व्यवसायिक हुनर सिखाए जाए। आजादी के बाद तक भी नई तालीम या गांधीजी के शैक्षिक विचारों को ज्यादा तवज्ज्ञों क्यों नहीं मिली यह तो काफी लम्बी चर्चा का विषय है और यहाँ उसकी तह में जाने का प्रयास ना करते हुए उनके विचारों के महत्व को समझने की हल्की सी काशिश की गई है और विचारों की झलक मात्र दिखाने का लेख में प्रयास किया गया है।

वर्तमान समय में गांधी की बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता

2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर लगभग 75 फीसदी रही इसके बावजूद वर्तमान युग में बुनियादी शिक्षा आवश्यकता तथा सरकार की विंताएं लगातार बढ़ रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी इस बात का पुख्ता सबूत है। स्कूलों तथा शिक्षण संस्थाओं में दाखिले में तेजी से वृद्धि हो रही हैं परन्तु शिक्षा का स्तर तथा गुणवत्ता की दर में तेजी से गिरावट आ रही है। यूनोस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग दो-तिहाई बच्चे बुनियादी शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वयस्क निरक्षरों की संख्या भी देश में सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था के अनुसार भारत में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने योग्य एक तिहाई बच्चे ही चौथी कक्षा तक पहुँच पाते हैं और बुनियादी शिक्षा ले पाते हैं। वही एक तिहाई बच्चे चौथी कक्षा तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन वे बुनियादी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। है। जबकि एक तिहाई बच्चे न तो चौथी कक्षा तक पहुँच पाते हैं और नहीं बुनियादी शिक्षा ले पाते हैं।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन (ए.एस.ई.आर.) द्वारा जारी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार आठवीं कक्षा के 25 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरी कक्षा के ऐसे छात्र जो अक्षर भी नहीं पहचान पाते का फीसदी 2010 में 13.4 फीसदी था, जो 2014 में बढ़ कर 32.5 फीसदी हो गया। सरकारी स्कूलों में 2010 से 2012 के बीच तेजी से गिरावट देखने को मिली है। पांचवीं कक्षा के आधे से भी ज्यादा बच्चे बुनियादी बाते भी नहीं सीख पाते हैं। तीसरी कक्षा का हाल तो इससे भी बुरा है।

दूसरी कक्षा के छात्र जो अक्षर नहीं पहचान पाते

सत्र	अक्षर नहीं पहचाने वाले छात्र (फीसद)
2010	13.4
2011	19.9
2012	24.8
2013	28.5
2014	32.5

अलग अलग कक्षाओं के छात्र जो दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकते

कक्षा	छात्र प्रतिशत
तीसरी	76.4
पंचवी	51.9
आठवी	25.4

स्रोत-एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014

रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि भारत में शिक्षा के लिए आबादित राशि भी सभी राज्यों में भी अन्तर रिपोर्ट देखने को मिलता है—केरल में शिक्षा पर 42548.78 रुपये, हिमाचल प्रदेश में 33666.33 रुपये, पश्चिम बंगाल में 7888.61 रुपये, वही बिहार में 6211.50 रुपए प्रति विधार्थी पर प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। कई बार ताइस तय राशि से भी कम खर्च किया जाता है। बजट में से इस तरह कटौती करने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सम्भावना कम ही होती है।

बुनियादी शिक्षा के अभाव में शिक्षण संस्थाओं में ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है। स्कूलों में एडमिशन लेने वाले 57 फीसदी ही प्राइमरी एजुकेशन पूरी करते हैं, जबकि करीब 90 फीसदी सैकण्डरी एजुकेशन पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। पहले ये माना जा रहा था कि फेल होने की वजह से ऐसा होता है परन्तु शिक्षा का अधिकार कानून (आर.टी.ई.) के अन्तर्गत आठवीं तक की कक्षा में किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जायेगा, के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। इसके साथ-साथ स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का अनुपात भी लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2009 में प्राइमरी स्कूलों में 74.3 फीसदी, अपर प्राइमरी स्कूलों में 77 फीसदी थी जो वर्ष 2014 में इसका अनुपात प्राइमरी स्कूलों में 71.4 फीसदी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 71.1 फीसदी रहा। यानि हमें इसमें कमी ही देखने को मिली है। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। (आर.टी.ई.) कानून के अन्तर्गत बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के नियम बनाये गये थे। परन्तु आधे से ज्यादातर स्कूलों में बुनियादी मापदण्ड तथा आवश्यकताओं की कमी है—

आरटीई के मापदण्ड पूरे करने वाले स्कूलों का अनुपात

सुविधाएं	2010	2011	2012	2013	2014
प्लग्रांउड	62	62.8	61.1	62.4	65.3
पीने का पानी	72.7	73.5	73	73.8	75.6
टॉयलेट	47.2	49	56.4	62.6	65.2
कुल शिक्षक अनुपात	38.9	40.8	42.9	45.3	49.3

यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निजी स्कूलों तथा शिक्षण संस्थाएं तेजी से बढ़े पैमाने पर खोले जा रहे हैं। जो मनमाने ढग से फीस वसूल रहे हैं साथ ही साथ बच्चों को व्यवहारिक नैतिक शिक्षा की जगह पर

बच्चों को रोबोट बना रहे हैं। बच्चों कों बेसिक चीजे सिखाने की बजाय फालतु की चीजों में ज्यादा समय बरबाद करते हैं। निजी कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की बाढ़ सी आ गई है जिनका मकसद सिर्फ डिग्री बांटना रह गया है। निजी शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी कितनी हो, किस प्रकार की हो की, इसकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हर माँ-बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करे। उसके लिए रोजगार परख तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना चाहता है। वर्तमान शिक्षा में प्रयोजनवादी तथा नवाचार का अभाव देखने को मिल रहा है।

वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा नीति की प्रासंगिता

कई आधुनिक शिक्षाविदों ने गांधीजी की तरफ से प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की योजना को आप्रासांगिक बताया और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यरता के सवाल पर यह आलोचना के केन्द्र में आ गई। हालांकि गांधीजी के शैक्षणिक विचारों को शिक्षा के आधुनिक संदर्भों में भी काफी महत्व है। उनके सिद्धांतों के मूल में बच्चों की प्रतिभा का विकास और वृद्धि है। उन्होंने उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक शारीरिक गतिविधि का बच्चों पर होने वाले असर को देखा था। उनकी सृजनात्मक और आत्म-अभिव्यक्ति की आवश्यकताओं को वह समझते थे। गांधीजी अनुभवों की समग्रता और सीखने सिखाने की सामाजिक और भावनात्मक महत्व से अवगत थे। आज के शिक्षाविदों के लिए भी यह सारे विचार महत्व के हैं—

वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में गांधीजी की बुनियादी शिक्षा नीति की प्रासंगिता की बात की जाये तो गांधीजी की नई तालिम नीति भारतीय जीवन परिदृश्य की सामाजिक, आर्थिक और नैतिकता को ध्यान में रख कर बनाई थी। उनकी शिक्षा नीति प्रयोजनवादी थी। जिसमें बच्चे को आर्थिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही थी। उनका मानना था कि बच्चे को रोजगार युक्त उन्मुक्त बनाया जाये। क्योंकि देश की 70 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती हैं, जो आर्थिकरूप से कमज़ोर होने से उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें और भविष्य में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें। इसलिए वे बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरख शिक्षा की भी बात करते थे। वर्तमान में भारत में पढ़े लिखे युवा बेरोजागारी की चपेट में आ रहे हैं जिससे उनके अन्दर निराशा का भाव तथा आत्मविश्वास की कमी पैदा हाती जा रही है। कई बार युवा गलत रस्ते पर भी चले जाते हैं।

गांधीजी की बुनियादी शिक्षा नीति में 14 साल तक के बालक-बालिकाओं निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा का विशेष महत्व दिया ताकि एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह सके। उनका मानना था कि 14 साल तक बच्चे को बुनियादी शिक्षा देने से उसकी नींव को मजबूती मिलेगी ताकि वह भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार रह सके। वर्तमान समय में 2009 में देश में आर.टी.ई (निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून) को लागू करके गांधीजी के इस सिद्धांत को मूर्तरूप दिया

गया है। साथ ही साथ निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीट आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके लिए तय की गई हैं। जो गांधीजी के सपने को साकार करने के लिए एक सकारात्मक पहल हैं।

आज हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में बालक स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकलते हैं परन्तु डिग्री होने के बावजूद उनको रोजगार ही नहीं मिलता है। गांधीजी ने सौ साल पहले इस समस्या को भाप लिया था और इसलिए ही उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अन्तर्गत उद्योगों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया ताकि बालक कोई भी हस्तशिल्प में उसके बेरोजगारी से मुक्ति मिल सके। वर्तमान में इस दिशा में तेजी से प्रगति देखने को मिल रही है। अब स्कूलों में ही कलाशिक्षा, एस.यू.बी.डब्लू. गृहविज्ञान आदि विषय को जोड़ा जा रहा है ताकि बच्चे इन क्षेत्रों में रुचि लेकर निपुणता हासिल करे, और भविष्य में इनको रोजगार के रूप में चुन सकें।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आर.टी.ई. संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जहाँ बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कॉलेज स्तर पर कौशल विकास केन्द्र, रोजगार मेले, प्लेसमेंट सैल आदि में तेजी देखने को मिल रही हैं। सरकार द्वारा प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना में ग्रामीण महिलाएं तथा युवा वर्ग के लिए सिलाई, कढाई, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर कोर्स आदि का रोजगार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की इन कारगार योजनाओं में विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।

गांधीजी ने अपनी बुनियादी शिक्षा के लिए बनी नई तालीम नीति में स्वारूप शिक्षा तथा शारीरिक श्रम को शिक्षा के साथ-साथ अति आवश्यक एंव महत्वपूर्ण माना। फीनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय आश्रम आदि में रहने के दौरान अध्ययन के साथ-साथ खाना बनाना, खेती करना, सूत कातना, पखाना साफ करने तक के सारे कार्य स्वयं किया करते थे। इस ही नीति का पालन करते हुए वर्तमान सरकार ने स्कूल तथा उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाओं में एन.एस.एस., स्काउट, एन.सी.सी., वाई.डी.सी जैसी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को महत्व दिया जा रहा है। एन.एस.एस के माध्यम से बच्चे को सालभर कम से कम 120 घण्टे श्रमदान करना आवश्यक है। मानवमात्र तथा समाज सेवा के भाव जागृत करने के लिए विधाधिर्यों को ग्रामीण क्षेत्र से रु-बरु करवाया जाता है। एन.सी.सी के माध्यम से बच्चे के अन्दर नियमबद्धता तथा अनुशासन के दायरे में रहना सीखाया जाता है।

गांधीजी का ध्येय सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। वे अमन-चैन, भाई-चारे की स्थापना करना चाहते थे। उनका सपना था कि व्यक्ति, समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक समरसता बनी रहे। परन्तु आज देश में घृणा, लालच, लोभ, मारकाट, विनाश, मानवता का हनन, स्वार्थ सिद्धि तथा शोषण जैसी प्रवृत्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। व्यक्ति स्वयं के दुःख से इतना दुःखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुःखी हैं। जातिवाद एक कोढ़ की तरह फैल रहा है, आज भी उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ

खाना—पानी तो दूर की बात है, अपने पास बैठाने को तैयार नहीं है। गांधीजी ने धर्म की शिक्षा का बहिष्कार किया था परन्तु आज ऐसी कोई जगह नहीं बची है, जहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। धार्मिक कट्टरता के नाम पर आये दिन झगड़े होते रहते हैं। जो सदियों तक चलते हैं वर्तमान राजनीति भी इस जातिवाद के कोढ़ से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। आज भी नेता का चुनाव तथा मतदान उम्मीदवार की जाति देख कर किया जाता है। सारा का सारा सामाजिक वातावरण ही दृष्टिष्ठ हो गया है। गांधीजी का सर्वोदय समाज का सपना कोसो दूर लगता है। आधुनिक समय में भी कुछ ही समाज के लोगों का उदय हो रहा है। अतः मेरी राय में वर्तमान में प्रगति करने, मानवमात्र का भला करने के लिए गांधीजी के सर्वोदय समाज की स्थापना करने पर ही उनके उद्देश्यों को प्राप्ति सम्भव हैं।

गांधीजी का मानना था कि साफ—सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है और इसलिए ही उन्होंने लोगों को स्वच्छता सम्बधित शिक्षा दे कर देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखना था। वे चाहते थे कि देश के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाये रखने का कार्य करे। आश्रम की सफाई तथा अन्य कार्य वे स्वयं करते थे। गांधीजी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के इसलिए 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरूवात की और इसे सफल बनाने के लिए गांव से लेकर शहर के सभी नागरिक, पंचायत, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों को जोड़कर अभियान को सफल बनाने की अपील की। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गांव, पंचायत तथा शहर को पुरुष्कृत भी किया जाता है।

निष्कर्ष

गांधीजी के द्वारा दिये गये शिक्षा का सिद्धान्त, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आज भी बालकों तथा बालिकाओं, विद्यालय तथा समाज के लिए उतने ही आवश्यक हैं, जितने पहले उनकी महत्वपूर्ण कृति बुनियादी शिक्षा अथवा बेसिक शिक्षा बच्चों के लिए हैं। चाहे वे शहर

के हो अथवा गांव के, समस्त सर्वोदय एंव स्थाई बातों से सम्बन्ध रखती हैं एंव बालक को स्वावलम्बी बनाने में मददगार सिद्ध हुई हैं। उनकी शिक्षा केवल मानसिक विकास की और ही ध्यान नहीं देती बल्कि शारीरिक, नैतिक एंव आध्यात्मिक विकास के लिये भी उपयोगी हुई हैं। ये भी खुशी की बात है कि मानव संसाधन विकास मत्रालय तथा शिक्षा मंत्री गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। वे जल्दी ही नई शिक्षा नीति की घोषणा करने का सोच रहे हैं। इस नई नीति में गांव, पंचायत, नगर महानगर के प्रत्येक व्यक्ति से अपने विचार मांगे हैं कि वे कैसी शिक्षा चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह नई पहल शिक्षा के क्षेत्र को एक नई दिशा देगी। शिक्षा के मानकों में आई भारी गिरावट को रोकने तथा बेहतर गुणवत्तापूर्ण मानकों की राह प्रशस्त करेगी। शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की हर स्तर पर राजनैतिक दखलेंदाजी को खत्म करने या कम से कम करने की राजनैतिक इच्छा शक्ति ही भारत को एक ही पीढ़ी में विश्व स्तर पर पहुंचा सकती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

महात्मा गांधी, हरिजन, 2.2.1974, पृ. 3

गांधीजी, रचनात्मक कार्यक्रम उसका रहस्य और स्थान, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद, 1951, पृ.25

गांधीजी, हिन्दू स्वराज, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, पृ. 69

महात्मा गांधी, हरिजन संवक, 21.01.1947

यंग इंडिया, 17.10.1929

प्रताप सिंह, गांधीजी का दर्शन, सम्पादक, जी.पी. नेमा, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, पृ. 232

सविता सिंह, गांधी और महिला सशक्तिकरण, अंक 27,28 सितम्बर, रोजगार समाचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली

किशोरी लाल मशरूवाला, गांधी दोहन, पृ. 169

रचनात्मक कार्यक्रम, नवजीवन प्रकाशन, पृ. 32-34

सच्ची शिक्षा, नवजीवन प्रकाशन, 1959, पृ. 15-61

http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/h_focus_group/Shanti%20Ke%20Liye%20Shiksha.pdf